न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

प्र0सं0 664/2016 पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा
आर ए एस

1–जगदीश पुत्र बलराम जाति जाट सा0 1 के मिर्जेवाला तह0 श्रीगंगानगर
2–सम्पति देवी पुत्री बलराम जाति जाट सा0 1 के मिर्जेवाला तह0 श्रीगंगानगर

....................प्रार्थीगण

बनाम

1. सजोकतीदेवी पत्नि बलराम जाति जाट साकिन 1 के मिर्जेवाला तह0गंगानगर
2. .ओमप्रकाश पुत्र बलराम जाति जाट सा0 1 के मिर्जेवाला तह0 श्रीगंगानगर
3. शान्ति देवी पत्नि कष्णलाल पुत्र बलराम जाति जाट सा0 1 के मिर्जेवाला तह0 श्रीगंगानगर
4. संदीप पुत्र कष्णलाल पुत्र बलराम जाति जाट सा0 1 के मिर्जेवाला तह0 श्रीगंगानगर
5. पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा खालसा कालेज श्रीगंगानगर राज0
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

........................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 155

आदेश

दिनांकः– 26 अगस्त,2016

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की ओर एक वाद तापफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,प्रार्थीगणके पिता बलराम की मृत्यु उनके पिता के नाम चक 1 के में दर्ज भूमि के हकदार उसके तीन लडके व एक लडकी प्रार्थीया सं02 थी । उनकी भूमि वाके चक 1 के का इंतकाल कराते समय प्रार्थी सं02 का नाम छुपा लिया जबकि प्रार्थीया का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है प्रार्थीया ने कभी भी अपना हिस्सा किसी को तर्क नहीं किया है अप्रार्थीगण ने गलत तरीके से रकबा अपने नाम करवा लिया है इसलिए प्रार्थीया सं02 अपना हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है इसलिए ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण जारी की जावे ।अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,बलराम की मृत्यु

—cont (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

सम्पतिदेवी पि0 बलराम के नाम बहिब दर्ज हुआ सम्पतिदेवी ने अपनी स्वेच्छा से अपना हिस्सा जरिए रजि0 दस्तबरदारी दिनांक 28.12.98 तीनों भाईयों कृष्णलाल ,जगदीश,ओमप्रकाश के हक में छोडा गया और उक्त दस्तारदारी का इंतकाल सं0 150 दिनांक 11.3.1999 को कृष्णलाल ,जगदीश,ओमप्रकाश के नाम दर्ज हुआ इस लिए प्रार्थीयान के हक में कोई बिन्दू / साक्ष्य साबित नही होता है प्रार्थीयान ने झूठ का सहारा लिया है और अप्रार्थीयान रिकार्डेड खाातेदार है औार रिकार्डेड खातेदारों के खिलाफ कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती A2 2

हमने दोनो पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीया सं0 2 द्वारा अपने पिता से प्राप्त 1/5 हिस्सा का हक त्याग जरिए पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 28.12.98 द्वारा अपने भाईयों के हक में कर दिया है और जिसका इंतकाल भी उनके से दर्ज हो चुका है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है और अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिए प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली नं0 से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे

आदेश आज दिनांक 26/8/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास)
श्रीगंगानगर